कार्यालय, अधीक्षक, जिला कारागार, कासगंज।

दूरभाष/फोन नं0–9068320490 ई–मेलः sdjkasganj24@gmail.com

पत्रांकः 1250 /यू0टी0/2025 दिनांकः–1.10.2025

सेवा में,

माननीय न्यायालय,
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जनपद–कासगंज।

विषयः– **रिहाई आदेश के कारागार पर प्राप्त कराये जाने के समय परिवर्तन के सन्दर्भ में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, की सर्कूलर सं0–सी0एल0नं0–42/VIIb-47 Dated 28-04-1978 एवं शासनादेश सं0–1400P/XX1806 /1953 दिनांक 10 अगस्त–1953 के अनुसार सर्दी में 04:00 तथा गर्मियो में 05:00 बजे तक रिहाई आदेश जेल पर प्राप्त होने पर उसी दिन रिहा कर दिया जाता था। महानिरीक्षक कारागार उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 11.01.1978 को शासनादेश दिनांक 10.08.1953 को संशोधित करते हुये जनहित में रिहाई की समय सीमा आधे घण्टे की वृद्धि कर गर्मियो में 05:30 बजे तथा सर्दियो में 04:30 कर दिया गया।

जैल मैनुअल प्रस्तर 730 के अनुसार सर्दी में अपरान्ह 04:30 बजे गर्मी में 05:00 बजे मुख्य द्वार की घंटी बजायी जायेगी तथा इसके पश्चात भोजन वितरण एवं ताला लगाने की प्रकिया आरम्भ हो जायेगी।

अतएव उपरोक्तानुसार अवगत कराना है कि दिनांक 01.10.2025 से 31.03.2026 तक 04:30 बजे तक प्राप्त होने वाले रिहाई आदेशो पर उसी दिन कार्यवाही की जायेगी तथा 04:30 बजे के बाद प्राप्त होने वाले रिहाई आदेशो पर अनुपालन की कार्यवाही दूसरे दिन प्रातः सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उपर्युक्तानुसार अपने समस्त अधीनस्थ न्यायालयों को तद्नुसार कार्यवाही हेतु आदेशित करने की कृपा करें।

भवदीय

1/10/25

अधीक्षक,
जिला कारागार कासगंज।

पृ0सं0– — /यू0टी0/2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिला मजिस्ट्रेट, जनपद–कासगंज।
2– न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद–कासगंज उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3– अध्यक्ष बार एसोसियेशन, जनपद–कासगंज।

अधीक्षक,
जिला कारागार कासगंज।